भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3823 का उत्तर

दिव्यांगजन

3823. श्री जुगल किशोर शर्माः

श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में दिव्यांगों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और रेलवे स्टेशनों के विभिन्न श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे के 'बी' श्रेणी के तहत आने वाले पूरे देश के रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग हितैषी रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य के लिए चिन्हित किए गए रेलवे स्टेशनों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश भर में सभी रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर/लिफ्ट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों को उपरिपुल तक पहुंचने में आसानी हो;

(ङ) यदि हां, तो देश के उन स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां पर अब तक उक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(च) विगत पांच वर्षों में रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों को दिव्यांग हितैषी बनाने के लिए क्षेत्र-वार कितनी राशि खर्च की गई है; और

(छ) क्या रेलगाड़ियों के ड्राइवर और टिकट कलेक्टरों को दिव्यांगों की कठिनाइयों के बारे में संवेदनशील बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (छ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

Sk

दिव्यांगजन के संबंध में दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में श्री जुगल किशोर शर्मा, श्री वाई. देवेन्द्रप्पा एवं धैर्यशील संभाजीराव माणे के अतारांकित प्रश्न सं. 3823 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): भारत सरकार के 'सुगम्य भारत अभियान' या एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के भाग के रूप में अपने स्टेशनों और गाड़ियों को निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुगम्य बनाने के लिए भारतीय रेल वचनबद्ध है। दिव्यांग यात्रियों सहित रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार/संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। सभी भारतीय रेलों पर निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगों) के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करनी होती है। हर पांच वर्षों में स्टेशनों के कोटिकरण की समीक्षा की जाती है। अप्रैल, 2018 में, सम्हाले गए यात्रियों की संख्या और स्टेशनों की आमदनी के आधार पर स्टेशनों के कोटिकरण को 'ए-1', 'ए' एवं 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' एवं 'एफ' कोटि से एनएसजी1, एनएसजी2, एनएसजी3, एनएसजी4, एनएसजी5, एनएसजी6, एसजी1, एसजी2 और एसजी3 एवं एचजी1, एचजी2 और एचजी3 में बदलने का निर्णय लिया गया है।

निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सभी स्टेशनों (पूर्ववर्ती बी कोटि के स्टेशनों सहित) पर अल्पकालिक सुविधाओं और दीर्घकालिक सुविधाओं की योजना बनाई गई है जो आरंभ में गैर-उपनगरीय समूह एनएसजी-1, एनएसजी-2, एनएसजी-3 एवं एनएसजी-4 कोटि के स्टेशनों से शुरू होगी। भारतीय रेल में स्टेशनों की सभी कोटियों के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए अब तक रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराई गई अल्पकालिक सुविधाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुविधा	स्टेशनों की अनुमानित संख्या, जहां सुविधा मुहैया करा दी गई है
1	निर्बाध रूप से प्रवेश हेतु स्टैंडर्ड रैम्प	3702

2	कम-से-कम दो पार्किंग स्थान निर्धारित करना	2055
3	पार्किंग लॉट से स्टेशन बिल्डिंग तक फिसलन रहित मार्ग	2110
4	समुचित दृश्यता के संकेतक	1779
5	नि:शक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के उपयोग हेतु पीने के पानी का कम-से-कम एक नल	2843
6	कम-से-कम एक शौचालय (भूतल पर)	3869
7	'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं' बूथ	1325

एनएसजी-1 से एनएसजी-4 श्रेणी के स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए मुहैया कराए जाने वाली दीर्घकालिक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

1	प्लेटफार्मों के किनारों पर एन्ग्रेविंग।	1940
2	अंतर-प्लेटफार्म आवागमन हेतु सुविधा की व्यवस्था करना।	1290

4367 रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटर उदघोषणा प्रणाली सहित जन उदघोषणा प्रणालियों, 1125 स्टेशनों पर गाड़ी संसूचक बोर्डों और 644 स्टेशनों पर सवारीडिब्बा संकेतक प्रणालियों की व्यवस्था कर दी गई है जिनका दिव्यांगजन द्वारा भी रेलवे स्टेशनों पर लाभ उठाया जा सकता है।

गाड़ियों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के संबंध में भारतीय रेल के बेड़े में लगभग 3400 दिव्यांग अनुकूल सवारीडिब्बा कारखाना (आईसीएफ) डिजाइन के सवारीडिब्बे (पारवहन कोड-एसएलआरडी/एसआरडी) उपलब्ध हैं। इन सवारीडिब्बों में विकलांग/ व्हील चेयर पर बैठे यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट और शौचालय मौजूद हैं। इस सवारीडिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े कंपार्टमेंट, बड़े

शौचालय और शौचालय द्वारा आदि की व्यवस्था की गई है। शौचालयों के भीतर सहारे के लिए साइड वॉल पर अतिरिक्त ग्रेब रेल और अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर वॉशबेसिन और आइना उपलब्ध है। आईसीएफ किस्म के सवारीडिब्बों वाली प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में इस किस्म का कम से कम एक सवारीडिब्बा रखने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा, आईसीएफ किस्म के सवारीडिब्बों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप सवारीडिब्बा कारखाना, चेन्नै में दिव्यांगजन के लिए सुविधाओं वाले लिंक हॉफमैन किस्म के सवारीडिब्बों (पारवहन कोड-एलएसएलआरडी/एलडीएसएलआर) का विनिर्माण किया जा रहा है।

दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए नव विनिर्मित सवारीडिब्बों में एकीकृत ब्रेल संकेतक चिह्न अर्थात ब्रेल लिपि में उकेरे गए संकेतक चिह्न की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, मौजूदा सवारी डिब्बों में भी चरणबद्ध आधार पर इन्हें रेट्रोफिट करने का कार्य भी शुरु कर दिया गया है।

(घ) और (ङ): जी हां। वृद्धों, बीमार और भिन्न रूप से सक्षम (दिव्यांगजन) यात्रियों के आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए और प्रमुख रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर सुगम्य पहुंच के लिए तथा आवाजाही को आसान बनाने के लिए 'सुगम्य भारत अभियान' के भाग के रूप में लिफ्ट/एस्केलेटर मुहैया कराए जा रहे हैं। भारतीय रेल के संशोधित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, पच्चीस हजार से अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले रेलवे स्टेशनों और राज्य की राजधानी और मिलेनियम शहरों के रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां उपलब्ध कराई जानी होती हैं। विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता और लिफ्ट्स की व्यवस्था के लिए व्यवहार्यता के आधार पर लिफ्ट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक भारतीय रेल पर (31.10.2019 तक) 250 स्टेशनों पर 705 एस्केलेटर्स और 226 स्टेशनों पर 521 लिफ्टों की व्यवस्था कर दी गई है।

(च) यात्रा कर रहे लोगों की जरूरतों और धन की उपलब्धता के आधार पर भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामान्यतः, रेलवे स्टेशनों पर निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुविधाओं समेत सभी यात्री सुविधाओं के लिए निर्माण कार्यों को योजना शीर्ष-53 'यात्री सुविधाओं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुविधाओं पर खर्च के लिए अलग से कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सभी यात्री सुख-सुविधाओं/सुविधाओं संबंधी निर्माण कार्य स्वीकृत / निष्पादित करते समय स्टेशन की निम्नतर कोटि की अपेक्षा, स्टेशन की उच्चतर कोटि को वरीयता दी जाती है। पिछले पांच वर्षों अर्थात 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय रेल में, इस योजना शीर्ष-53 के लिए बजटीय स्रोतों के अंतर्गत आवंटित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न है।

(छ) क्षेत्रीय रेलों के सभी महाप्रबंधकों को ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क में आने वाले सभी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को आरंभिक/पुनश्चर्या/विशेष पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में सॉफ्ट स्किल के बारे में विशेष प्रशिक्षण पाठयक्रम की व्यवस्था के लिए अनुदेश दिए गए हैं जहां ग्राहक संतोष पर अधिक बल दिया जाता है और ग्राहक को प्रमुख क्लाइंट के रूप में माना जाता है।

फ्रंटलाइन के सभी कमर्शियल कर्मचारियों को यात्री सुविधाओं के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है जहां दिव्यांगजनों के लिए मुहैया कराई गई विशेष सुविधाओं और व्हील चेयर की व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

******

Sk

दिव्यांगजन के संबंध में दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में श्री जुगल किशोर शर्मा, श्री वाई. देवेन्द्रप्पा एवं धैर्यशील संभाजीराव माणे के अतारांकित प्रश्न सं. 3823 के भाग (च) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

भारतीय रेलवे पर पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 तथा मौजूदा वर्ष के दौरान इस योजना के लिए बजटीय स्रोतों के तहत आवंटित धनराशि और व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है : -

(रु. करोड़ में)

क्षेत्रीय रेलवे	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
मध्य	77.00	67.88	85.10	78.74	73.93	74.07	141.53	161.89	262.67	237.42	284.14	195.73
पूर्व	91.42	70.71	67.22	62.98	51.85	48.41	85.21	50.73	116.67	57.84	208.16	77.65
पूर्व मध्य	53.17	44.89	82.53	63.75	52.78	65.76	72.03	74.11	139.24	98.57	227.91	94.48
पूर्व तट	55.00	40.53	59.66	57.46	47.78	56.42	75.09	59.85	116.42	72.55	175.74	63.42
उत्तर	125.80	85.46	128.30	109.33	78.15	94.93	174.12	171.92	347.24	141.18	289.00	105.67
उत्तर मध्य	90.22	74.95	81.46	52.62	56.87	60.34	105.53	66.56	94.51	116.92	177.37	43.38
पूर्वोत्तर	41.96	22.34	55.00	71.94	107.69	109.84	92.81	91.44	112.20	89.53	186.17	57.66
पूर्वोत्तर सीमा	50.48	44.71	53.17	54.09	50.75	45.81	56.83	38.16	97.54	78.06	186.17	71.72
उत्तर पश्चिम	42.18	35.58	60.31	66.07	53.42	55.60	57.87	68.09	155.89	118.62	186.17	89.11
दक्षिण	62.58	69.87	107.77	95.91	61.18	70.68	148.52	102.00	147.47	57.57	264.22	64.30
दक्षिण मध्य	104.24	77.33	101.65	94.82	64.41	68.56	90.96	63.80	186.33	76.39	227.91	103.16
दक्षिण पूर्व	56.37	53.23	72.12	65.60	47.46	60.08	80.25	81.85	81.11	56.93	175.42	43.72
दक्षिण पूर्व मध्य	39.57	36.12	48.71	31.38	29.55	31.49	32.60	23.50	104.32	36.19	138.24	32.99
दक्षिण पश्चिम	35.82	31.88	69.61	60.22	42.63	41.93	64.19	49.77	61.22	26.19	186.17	45.64
पश्चिम	58.61	42.65	52.21	49.61	48.73	47.96	126.50	134.80	325.37	299.01	284.22	197.22
पश्चिम मध्य	49.92	54.65	71.31	63.50	45.29	43.78	58.55	44.44	53.21	19.03	175.49	24.68
मेट्रो	11.56	5.83	3.99	3.19	5.44	5.58	8.20	3.89	9.31	3.88	12.57	3.88
कुल	1045.90	858.61	1200.10	1081.20	917.91	981.24	1470.79	1286.80	2410.72	1585.88	3385.07	1314.41

*****

Sk